कार्यालय महानिदेशालय कारागार राजस्थान घाटगेट, जयपुर

क्रमांकः सामान्य/के.भं./02/2016–17/50955 दिनांकः 01/02/2017

ई–बोली एवं खुली प्रतियोगी बोली आमंत्रण सूचना

सुरक्षाकर्मियों के उपयोगार्थ वर्दी सामग्री पी.टी. शूज ब्राउन/सफेद एवं जंगल शूज के लिए ई–बोली तथा बैरेट कैप खाकी, गर्म बनियान, सूती बनियान, गर्म जुर्राब खाकी, नाईलोन जुर्राब खाकी, पी–कैप क्रय के लिए खुली प्रतियोगी बोली आमंत्रित की जाती है।

ई–बोली दिनांक 02.02.2017 को प्रातः 10.00 बजे से प्रारंभ की जाकर वेबसाईट http:// www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके दिनांक 02.02.2017 को प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 20.02.2017 को प्रातः 11.00 बजे तक निर्धारित दस्तावेजो के साथ ऑन लाइन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in में प्रस्तुत की जा सकती है।

खुली प्रतियोगी बोली हेतु बोली प्रपत्र दिनांक 02.02.2017 से दिनांक 14.02.2017 तक इस कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर निर्धारित राशि का शुल्क जमा कराये जाकर प्राप्त किये जा सकते है अथवा विभागीय वैबसाईट http:// www.rajprisons.nic.in अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल (*www.*sppp.rajasthan.gov.in) से डाउनलोड़ कर निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क राशि के साथ इस कार्यालय में दिनांक 15.02.2017 को दोपहर 1.00 तक जमा कराया जा सकेगा।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्ते एवं अन्य विवरण बोली की वैबसाईट http://www.eproc rajasthan.gov.in अथवा विभागीय वैबसाईट http:// www.rajprisons.nic.in अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल (*www.*sppp.rajasthan.gov.in) पर देख सकते है।

(डॉ. सुधाकर जौहरी)
अति. महानिदेशक कारागार
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः सामान्य/के.भं./02/2016–17/50956-70 दिनांकः 01/02/17

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।
2. उपापन समिति, अध्यक्ष/सदस्य..................................।
3. नोटिस बोर्ड मुख्यालय/रेंज कार्यालय/मंड़ल कार्यालय।
4. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर को दो प्रतियां विभागीय बैवसाईट पर अपलोड़ करने तथा समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, राजस्थान को सूचनार्थ करने हेतु प्रेषित है।
5. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि ई–बोली आमंत्रण सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 46(6) में विहित प्रावधानानुसार एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र तथा 50,000 प्रतियों और उससे अधिक का परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर न्यूनतम 15 दिवस की अवधि के लिए अविलम्ब प्रकाशन करावें।
6. प्रभारी अधिकारी भण्ड़ार एवं सदस्य सचिव, उपापन समिति को प्रेषित कर लेख है कि ई–बोली को एसपीपीपी एवं ई–प्रोक्यूरमेन्ट पोर्टल पर अविलम्ब अपलोड करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

अति. महानिदेशक कारागार
राजस्थान जयपुर